भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2248
05.08.2024 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुकूलित योजना

2248. श्रीमती शांभवी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अपर्याप्त अवसंरचना की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिए अवसंरचना के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) अपशिष्ट संग्रहण और शोधन में अंतर को दूर करने के लिए लागू नीतियों अथवा विनियमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न राज्यों और नगरपालिकाओं में अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों की निगरानी करने और उन्हें लागू करने के लिए कोई विशिष्ट योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में उत्पन्न कुल शहरी ठोस अपशिष्ट 1,70,339 टीपीडी था, जिसमें से 1,56,449 - टीपीडी एकत्र किया गया और 91,511 टीपीडी संसाधित/शोधित किया गया और 41,455 टीपीडी का जमीन में भराव किया गया।

केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2021 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) शुरू किया है, जिसका समग्र दृष्टिकोण "कचरा मुक्त शहर" बनाना और सभी शहरों को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाना है, जिसके लिए शहर के ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाना होता है। इस एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों को लागू करना अनिवार्य है। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग को सभी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

*****